

HERA

हाउसिंग और आर्थिक अधिकारों के
एडवोकेट

हम से संपर्क करें:

(510) 271-8443 Ext. 300

inquiries@heraca.org

www.heraca.org

P.O. Box 29435

Oakland, CA 94604



यह प्रोजैक्ट कैलिफोर्निया कमिशन
ऑन द स्टेटस अव विमिन ऐन्ड गर्लज़
(California Commission on the
Status of Women and Girls) के
अनुदान से संभव हुआ था।

क्या आप घरेलू हिंसा, यौन
हमले, पीछा करना
(stalking), मानव तस्करी,
बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, या
आश्रित वयस्क के साथ
दुर्व्यवहार के शिकार हैं?



**आपको घर से ना निकाले जाने
का अधिकार है**

कानून सीमित करता है
कि एक निजी मकान
मालिक किसी दुर्व्यवहार
करने वाले व्यक्ति की
वजह से हुई घरेलू हिंसा
के कारण कब आपको
घर से निकाल सकता
है।

निजी आवास में

आपको अधिकार है:

- दुर्व्यवहार करने वाले के खिलाफ निरोधक (restraining) आदेश प्राप्त करने के लिए घर से ना निकाले जाने का।
दुर्व्यवहार करने वाले से निरोधक आदेश या अन्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किसी को घर से निकाले जाने को यौन या लैंगिक भेदभाव माना जाता है (Fair Housing Act, 42 U.S.C. 3601 et seq.; Bouley v. Young-Sabourin, 394 F. Supp. 2d 675 (D. Vt. 2005)).
- घर में घरेलू हिंसा के कारण पुलिस बुलाने पर घर से ना निकाले जाने का (कैलिफ़ोर्निया सिविल कोड § 1946.8(c))।
- आपके घर में कोई घरेलू हिंसा से बचा हुआ होने के कारण घर से निकाले जाने या नई लीज़ से वंचित नहीं किए जाने का (कैलिफ़ोर्निया कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर § 1161.3)।

यह सुरक्षा केवल तभी लागू होती है जब:

- दुर्व्यवहार करने वाला आपके साथ नहीं रहता है
- दुर्व्यवहार करने वाले को आपके घर आने की अनुमति नहीं है

- आपके मकान मालिक को लगता है कि दुर्व्यवहार करने वाला अन्य किरायेदारों के लिए एक शारीरिक खतरा या परेशानी है

आप:

अपने मकान मालिक को घरेलू हिंसा का सबूत देकर घर से निकाले जाने से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अस्थायी निरोधक आदेश, पुलिस रिपोर्ट, चिकित्सा प्रदाता, या घरेलू हिंसा के बारे में आपका या योग्य तृतीय पक्ष का बयान हो सकता है। (कैलिफ़ोर्निया कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर § 1161.3)।

सब्सिडी वाले आवास में

सार्वजनिक आवास या सेक्शन 8 जैसे संघीय आवास कार्यक्रमों में किरायेदारों को घरेलू हिंसा के कारण घर से निकाले जाने के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षाएं प्राप्त हैं।

ये सुरक्षाएं दुर्व्यवहार करने वाले किरायेदारों पर लागू नहीं होती हैं।

आपको अधिकार है कि:

- घरेलू हिंसा को गंभीर या बार-बार होने वाले लीज़ उल्लंघनों के रूप में न गिना जाए।
- लीज़ या वाउचर को समाप्त करने के लिए घरेलू हिंसा को "अच्छे कारण" के रूप में शामिल न किया जाए।
- घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार से सीधे संबंधित आपराधिक गतिविधि के लिए आपको घर से ना निकाला जाए, भले ही आपके कार्यक्रम में अन्य प्रकार के अपराध के लिए शून्य-सहिष्णुता की नीति हो (34 USC § 12491(b)(3)(A))।

महत्वपूर्ण नोट:

आपको घर से निकाला जा सकता है यदि मकान मालिक यह साबित कर सकता है कि घरेलू हिंसा अन्य किरायेदारों के लिए एक वास्तविक और तात्कालिक खतरा होगी (34 USC § 12491(b)(3)(C)(iii))।